दिनांक 01.05.2025
प्रेस विज्ञप्ति 01/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद श्रावस्ती/थाना मल्हीपुर

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 30.04.2025/01.05.2025 की रात्रि थाना मल्हीपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर लक्ष्मनपुर कोठी के पास बदमाशों की घेराबंदी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त मंगल घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। एक अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना मल्हीपुर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद श्रावस्ती के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 09 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना मल्हीपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1– मंगल निवासी लोखडियनपुरवा थाना कोतवाली भिन्गा जनपद श्रावस्ती।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद।

जनपद मीरजापुर/थाना मड़िहान

- **20—20 हजार रूपये के पुरस्कार घोषित 02 अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 01.05.2025 को थाना मड़िहान व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सिरसी मोड़ के पास से पुरस्कार घोषित 02 अभियुक्तों 1—शहजाद अली उर्फ दिलीप 2—अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना राजगढ़ जनपद मीरजापुर पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20—20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त शहजाद अली उर्फ दिलीप के विरूद्ध जनपद मिरजापुर के थाना राजगढ़ पर धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना मड़िहान पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शहजाद अली उर्फ दिलीप निवासी सतौहा थाना घोरावल जनपद सोनभद्र।

2—अभियुक्ता।

जनपद बिजनौर/थाना चांदपुर

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **घटना का अनावरण**
- **07 हजार 50 रूपये नगद**
- **03 मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 01.05.2025 को थाना चांदपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार थाना क्षेत्र से 03 अभियुक्तों 1— फरमान 2— मुज्जमिल 3— अयान को

गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 07 हजार 50 रूपये नगद, 03 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना चांदपुर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा कारित की गयी घटना के सम्बन्ध में थाना चांदपुर पर धारा–304(2)बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों गिरफ्तारी व माल की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपये उक्त घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त मुज्जमिल के विरूद्ध जनपद बिजनौर के थाना चांदपुर पर छिनैती, हत्या का प्रयास आदि के कई अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना चांदपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–फरमान निवासी ग्राम बगवाडा थाना स्यौहारा जनपद बिजनौर।

2–मुज्जमिल निवासी मोहल्ला मोहम्मदनगर सरायरफी थाना चांदपुर बिजनौर।

3–अयान निवासी मोहल्ला सरायरफी थाना चांदपुर बिजनौर।

बरामदगी

1–07 हजार 50 रूपये नगद।

2–03 मोबाइल फोन।

3–घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल आदि।

जनपद अम्बेड़करनगर/थाना भीटी

- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **धोखाधड़ी के लगभग 1 करोड़ 30 लाख रूपये कीमत के 19 ट्रैक्टर बरामद**

दिनांक 01.05.2025 को थाना भीटी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अतरौला नाऊपुर के पास से 05 अभियुक्तों 1–सोनू 2–अनिल कुमार 3– राजबहादुर 4– रामचन्द्र 5– रविकान्त उर्फ रिंकू को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से धोखाधड़ी के लगभग 1 करोड़ 30 लाख रूपये कीमत के 19 ट्रैक्टर बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्तों का एक संगठित गिरोह है, जिनके द्वारा ट्रैक्टरों को 06 माह के एग्रीमेंट पर लेकर उन ट्रैक्टरों को कूटरचित दस्तावेज तैयार कर भोले–भाले लोगों को बेचकर पैसे लेकर फरार हो जाते थे।

इस सम्बन्ध में थाना भीटी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सोनू निवासी नाहरपुर थाना तारून जनपद अयोध्या।

2–अनिल कुमार निवासी ग्राम मडना थाना महराजगंज जनपद अयोध्या।

3–राजबहादुर निवासी मिझौडा थाना अहिरौली जनपद अम्बेड़करनगर।

4–रामचन्द्र निवासी ग्राम माझा सोनवा थाना हैदरगंज जनपद अयोध्या।

5–रविकान्त उर्फ रिंकू निवासी विसम्भरपुर थाना जलालपुर जनपद अम्बेड़करनगर।

बरामदगी

1–धोखाधड़ी के लगभग 1 करोड़ 30 लाख रूपये कीमत के 19 ट्रैक्टर।

जनपद देवरिया/थाना महुआडीह

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **60 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब**
- **01 ट्रैक्टर मय भूसा बनाने वाली मशीन बरामद**

दिनांक 01.05.2025 को थाना महुआडीह पुलिस द्वारा सूचना क आधार पर धनौती रजडीहा पुल के पास से अभियुक्त दिनेश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त

के कब्जे/निशादेही से 60 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, 01 ट्रैक्टर मय भूसा बनाने वाली मशीन बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना महुआडीह पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–दिनेश निवासी बदाना थाना सदर जनपद सोनीपत, हरियाणा।

<u>बरामदगी</u>

1–60 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब।

2–01 ट्रैक्टर मय भूसा बनाने वाली मशीन।

- **<u>जनपद देवरिया/थाना खुखुन्दु (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद देवरिया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद देवरिया द्वारा थाना खुखुन्दु पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304बी/498ए भादवि व 04 डीपी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्तगण 1–महर्षि 2–कालिका 3–छेदी को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद जौनपुर/थाना बक्शा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 63 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद जौनपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद जौनपुर द्वारा थाना बक्शा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/323/506/307 भादवि

व 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त प्रेमचन्द्र को 20 वर्ष के कठोर करावास व 63 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➢ **जनपद सोनभद्र/थाना रायपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को 20–20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 21–21 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सोनभद्र द्वारा थाना रायपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376(3)/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त रामेश्वर को 20 वर्ष के कठोर करावास व 21 हजार रूपये अर्थदण्ड तथा अभियुक्ता को धारा 120बी/376(3)/506 भादवि व 16/17 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत 20 वर्ष के कठोर करावास व 21 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।